अध्यक्ष तथा सकेटरी जनरल महोदय, माननीय मंत्रीगण, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधि एवं उपस्थित देवियो और सज्जनो,

विश्व की सुरक्षा और उसके भविष्य के मुददे पर आप सम्मानित श्रोतागणों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। सौ वर्ष न सिर्फ इंसान के जीवन में लम्बी अवधि होती है बल्कि किसी संस्था के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण और लम्बा समय होता है।

Interpol इस नवम्बर में अपना शताब्दी–महोत्सव मना रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि वह पूरे विश्व में **International Cooperation and Capacity Building in Law Enforcement Agencies** को बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने में और अधिक योगदान दे सकें। इस स्मरणीय दिवस पर "**Contemporary Criminal Threats and New Challenges to Police Cooperation**" जैसे प्रासंगिक विषय पर आपसे विचार–विमर्श करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय दर्शन के अनुसार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पालन करते हुए सम्पूर्ण विश्व एक परिवार

स्वरूप है। अतः भारत अपनी सुरक्षा के साथ ही सम्पूर्ण विश्व को सुरक्षित देखना चाहता है। इन सुखद क्षणों में, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि एक सदी पूर्व जब **Interpol** के विचार की संकल्पना की गई थी, उसकी तुलना में आज **Law Enfocement** की चुनौतियॉ कई गुना बढ़ गई हैं। अतः वर्तमान में **Interpol** को अधिक प्रभावी, शक्तिशाली **Result Oriented** होना चाहिए।

निःसंदेह, 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधि की सीमा एंव दायरे में काफी वृद्धि हुई है। इस गतिविधि के स्तर एंव गंभीरता और साथ ही **Transnational Organised Criminal Groups** की शक्ति एंव प्रभाव में हुई अभूतपूर्व वृद्धि ने सरकारों की चिन्ताएं बढ़ा दी हैं। भारत इसका अपवाद नहीं है। मैं इस चर्चा में महान भारतीय संत एंव विचारक स्वामी विवेकानंद के विचारों को उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, ''समाज का पतन अपराधियों की गतिविधियों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता के कारण होता है''।

Information & Communication Technology की प्रगति ने विश्व को एक **Global Village** में परिवर्तित कर दिया है। इन परिवर्तनों ने **International Trade &**

Commerce की गति, मात्रा एवं कार्यक्षेत्र में तेजी से विस्तार किया है। **Globalization** की गतिशीलता और सीमाओं पर लोगों, वस्तुओं के **Free Movement** ने **Intrenational Organized Crime Groups** को अपने व्यवसायिक हितों का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। **Internet Technology** द्वारा प्रदान की गई गुमनाम संप्रेषण की सुविधा से आंतकी समूहों के सदस्यों के बीच संवाद सुगम हो गया है जिसके कारण अपराधियों को **Law Enforcement Agencies** द्वारा पकड़े जाने का ज्यादा डर नहीं है। **Information Technology** ने लोगों के कार्य करने, संवाद करने तथा एक–दूसरे से संपर्क स्थापित करने के तौर–तरीकों को बिल्कुल ही बदल दिया है। इससे अपराधियों की कार्य–संस्कृति में भी बदलाव आए हैं। **Social Network** जैसे सामाजिक संपर्क **Websites** के प्रयोग से **Private Data Users** का प्रसार बढ़ा है जिसको चुराया भी जा सकता है और उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सही मायनों में, वास्तविक दुनिया की भांति **'Cyber Space'** में भी महिलाएं एवं बच्चे समान रूप से असुरक्षित है। हाल के वर्षों में, देश को अस्थिर करने के उद्देश्य से साम्प्रदायिक दंगों को उकसाने के लिए **Internet Social**

Media का अधिक उपयोग किया जा रहा है। **Interpol** के शताब्दी समारोह के इस यादगार अवसर पर **Cyber Crimes** से संबंधित Strategy को और अधिक मजबूत बनाने की शपथ लेने के लिए मैं आप सभी का आहवान करता हूँ।

पूर्व की तुलना में अब आपराधिक संगठन एक दूसरे को विरोधी मानने के बजाय, आपस में सूचना, सेवाओं और संसाधनों को साझा कर रहे हैं। ऐसा करके वे अपने जोखिम एंव लागत को तो कम कर रहे हैं साथ ही, अवैध अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार, अत्यधिक दक्ष **Network** विद्यमान हैं, जो सभ्य राष्ट्रों को अस्थिर करने एवं कमजोर सरकारों को अपनी बात मनवाने में सक्षम हैं। विश्व में कुछ प्रलयंकारी परिवर्तन भी हो रहे हैं क्योंकि **Toxic Ideology** से प्रेरित घातक गैर–राज्य शक्तियाँ स्वयं को राज्य में परिवर्तित कर रही हैं।

नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें **Police & Judicial System** और उनकी क्षमताओं का लगातार विकास करना होगा। पुराने नियमों तथा कानूनों की जांच करनी होगी और इनके स्थान पर प्रभावी विधान लाने होंगे जो **Money Laundering, Financial & High-**

Tech Crimes, गलत ढंग से प्राप्त धन की बरामदगी एवं जब्ती, **Intellectual Property** की चोरी, Corrupt Business Practices या **Illegal Immigration** पर समुचित कार्रवाई कर सकें। इसके अतिरिक्त, समूचे विश्व में सरकारों को संगठित आपराधिक एंव आतंकवादी समूहों, उनके **Illicit Operations** एवं भ्रष्ट तरीके से अर्जित धनराशि के लिए सुरक्षित आश्रयों के मुद्दे का सामूहिक रूप से निराकरण करने की आवश्यकता को मानना होगा।

कोई भी राष्ट्र, चाहे वह कितना भी समर्थ क्यों न हो, **Transnational Crime & Terrorist Groups** का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता है। **Organised Crime & Terrorist Groups** का मुकाबला करने की नीति में मूल रूप से पुलिस क्षमताओं को विकसित करने और **States, Federal** एवं **international Policing Agencies** के बीच प्रभावी सहयोगी पहलों पर ध्यान केन्द्रित की जाने की आवश्यकता है। देशों के पास **Investgation & Prosecution System** में Trials करने तथा आवश्यकता पड़ने पर विदेशी क्षेत्राधिकार से साक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए।

न्यूयार्क में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद आतंकवादी समूहों के प्रति विकसित राष्ट्रों का दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया है और वे उस खतरे के प्रति सचेत हो गए हैं जिससे भारत अस्सी के दशक के प्रारंभिक वर्षों से जूझ रहा था। भारत का मानना है कि आज भी अत्यधिक सतर्कता एंव कठोर प्रावधानों की आवश्यकता है ताकि **Off-shore Judisdiction** को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। इसके अलावा भ्रष्टाचार और आतंकवादी संबंधी मामलों में बैंकिंग संबंधी गोपनीयता एवं कॉरपोरेट आवरण को उठाने से अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में काफी सहायता मिलेगी।

राज्यों को आतंकवादी गतिविधियों को प्रेरित तथा आयोजित करने, उन्हें सुगम बनाने, उसमें भाग लेने, उनका वित–पोषण करने, उनको प्रोत्साहन करने या उनको सहन करने से बचना चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में **BRICS** शिखर सम्मेलन में जोरदार ढंग से कहा कि "हमें देशों पर इस बात के लिए सामूहिक दबाव डालना चाहिए कि वे आतंकवादियों को आश्रय एवं सहायता प्रदान न करें"।

Extradition एक जटिल प्रकिया है जिसमें समय लगता है। भगोड़ों को न्यायालय के समक्ष लाने में ऐसे

अत्यधिक विलंब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस पृष्ठभूमि में, मैं **e-Extradition** उपकरण के विकास में **Interpol** की पहल की सराहना करना चाहूंगा। राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के **Network** का योजनाबद्ध ढंग से उपयोग करने में **Interpol** की पहल, Avoidable Delays को रोकने के लिए एक बहुत ही अनूठा उपाय है। इसी प्रकार, **Mutual legal Assistance Treaties** के माध्यम से विदेश स्थित साक्ष्य को प्राप्त करने की प्रकिया को कम अवरोध वाला एवं तेज बनाया जाना होगा।

वर्तमान प्रणाली बीसवीं सदी के लिए बनाई गई थी और इसे कई क्षेत्राधिकारों में सूचना एवं साक्ष्य के आदान–प्रदान की जटिल प्रकिया से निपटने में कठिनाई होती है। **United Nations Office on Drugs & Crime** द्वारा विकसित **Online Mutual legal Assistance Request Writer** का उपयोग कर इस विलंब को कम किया जा सकता है।

समापन करने से पूर्व मेरा एक सुझाव है कि इन दिनों **Internet**, चरमपंथी गुटों द्वारा संवाद स्थापित करने का प्रमुख साधन बन चुका है। **Internet** के फोरम, प्रतिभागियों की पहचान छुपाते हैं। **Internet** पर छुपकर

कार्य करने वाले आतंकवादी की पहचान करना आवश्यक है। **Interpol** भगोड़ों को पकड़ने की अपने सौ वर्षों के अनुभवों पर विश्वास करते हुए, आतंकवादियों की भर्ती, प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाली **Site** पर निगरानी और उनका अध्ययन सुगमता से कर सकती है।

तमाम अवरोधों के बावजूद, **Interpol** ने Internatinal Police Cooperation के क्षेत्र में एक सक्षम तथा सुदृढ़ संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। **Interpol** इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि विश्व को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए किस प्रकार सहयोगी संगठनों को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। विस्त्र अपेक्षाकृत एक सुरक्षित स्थान है। **Interpol** की इस अपेक्षाकृत Powerful & effective Role के लिए मैं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इसके शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर, मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ।

धन्यवाद,

जय हिन्द।